न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस.,

राजस्व अपील सं. : 68/2016
अपीलान्ट्स

भोमाराम पुत्र श्री हिरकनराम जी, जाति विश्नोई, निवासी – ग्राम सुखमण्डला, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

1. हिरकनराम पुत्र श्री जाबताराम,
2. श्रीमती शांति पत्नी मानाराम,
3. मानाराम पुत्र श्री हिरकनराम,
   जातियान विश्नोई, निवासी – ग्राम सुखमण्डला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 18.05.2016 ग्राम सुखमण्डला, पटवार हल्का गिलाकौर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर स्वीकृत किया गया।

राजस्व अपील सं. : 69/2016
अपीलान्ट्स

भोमाराम पुत्र श्री हिरकनराम जी, जाति विश्नोई, निवासी – ग्राम सुखमण्डला, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

1. हिरकनराम पुत्र श्री जाबताराम,
2. श्रीमती पुष्पा पत्नी हनुमानराम,
3. हनुमानराम पुत्र श्री हिरकनराम,
   जातियान विश्नोई, निवासी – ग्राम सुखमण्डला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 18.05.2016 ग्राम सुखमण्डला, पटवार हल्का गिलाकौर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर स्वीकृत किया गया।

– – –

राजस्व अपील सं. : 70/2016

अपीलान्ट्स
भोमाराम पुत्र श्री हिरकनराम जी, जाति विश्नोई, निवासी – ग्राम सुखमण्डला, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स
1. हिरकनराम पुत्र श्री जाबताराम,
2. श्रीमती पुष्पा पत्नी हनुमानराम,
3. श्रीमती शांति पत्नी मानाराम
4. हनुमानराम पुत्र श्री हिरकनराम,
5. मानाराम पुत्र श्री हिरकनराम,
   जातियान विश्नोई, निवासीगण – ग्राम सुखमण्डला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बालेसर, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार, बालेसर जिला जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 18.05.2016 ग्राम करणसिंह नगर, पटवार हल्का गिलाकौर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर स्वीकृत किया गया।

– – –

उपस्थित :
1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री पी0आर0 विश्नोई उपस्थित
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री बी0एल0 विश्नोई उपस्थिते

निर्णय

दिनांक : 15.12.17

यह तीनों अपीले अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त तीनों अपीलें ग्राम सुखमण्डला पटवार हल्का गिलाकोर तहसील बालेसर के नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 18.05.2016, नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 18.05.2016, नामान्तरकरण संख्या 88 दिनांक 18.05.2016 के द्वारा तहसीलदार बालेसर के द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की गयी है। उक्त तीनों अपीलों के कानूनी बिन्दू व तथ्य एक समान होने के कारण (SIMILAR TYPE) इन सभी का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूमि अपिलान्ट व रेस्पोडेन्ट की कृषि भूमि है । अपीलान्ट के पूर्वजो के नाम से राजस्व रेकर्ड में चली आ रही है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया की विवादग्रस्त भूमि मे से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के पिता जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज थी उक्त विवादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी कृषि भूमि होने के कारण अपीलान्ट का भी हक व हिस्सा बनता है और रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त विवादग्रस्त भूमि में से अपनी हिस्से की कृषि भूमि को सभी पुत्रो को मौखिक बटवारे से बांट दिया तथा मौके पर कब्जा भी करवा दिया, उक्त मौखिक बटवारे के अनुसार अपीलान्ट अपने हिस्से की कृषि भूमि पर आज भी काबिज है।

अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में यह भी कथन किया की विवादग्रस्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने 10 बीधा कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में निम्न प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 68/2016 ग्राम सुखमण्डला के नामान्तकरण संख्या 549 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया, उक्त नामान्तकरण संख्या 549 के कॉलम संख्या 14 व 16 में यह उल्लेख किया है कि खातेदार हिरकनराम पुत्र पाबताराम ने अपने हिस्से की भूमि में से 10 बीघा भूमि शांति देवी को बेचान किया। इसी तरह अपील संख्या 69/2016 के द्वारा अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 548 ग्राम सुखमण्डला के कॉलम संख्या 14 व 16 में यह अंकित किया है कि खातेदार हिरकनराम ने अपने हिस्से की भूमि में 10 बीघा भूमि श्रीमति पुष्पा देवी को बेचान किया। इसी तरह अपील संख्या 70/2016 ग्राम करणसिंह नगर नामान्तकरण संख्या 88 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 व 16 में यह अंकन किया गया कि खातेदार हिरकनराम ने अपने हिस्से की भूमि शांति देवी व पुष्पा देवी को बेचान किया हैं व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करा दिया जो कानून के विपरित है। उक्त भूमि पुश्तैनी होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान करने का हक व अधिकार नहीं था, फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विवादग्रस्त भूमि का बैचान कर दिया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां खातेदारी वाद विचाराधीन है। वाद विचाराधीन रहते विवादग्रस्त भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता, कारण की उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विद्धवान अभिभाषक श्री बाबू लाल विश्नोई ने अपनी बहस शुरु करते हुए कथन किया कि उक्त तीनों अपीलें बेचाननामा के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण को खारिज कराने के लिए प्रस्तुत की गई है जिसमें मुख्य रुप से उत्तराधिकार एवं पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की बात कही गई है। अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। इसलिए अपील करने का अधिकार अपीलान्ट को नहीं है न ही अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है। इस कारण प्रस्तुत अपीले प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य बताया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि अपीलार्थी बेचाननामे के आधार के पर तस्दीक किये गये नामान्तरणकरण को खारिज करने के लिए प्रस्तुत की गई है परन्तु जब तक बेचाननाम अस्तित्व में है तब तक नामान्तरणकरण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि अपीलान्ट आदेश किस तरह का गलत है। इन तीनों अपीलों में अपीलाधीन नामान्तरणकरण पंजीबद्ध बेचाननामें के आधार पर भरकर तस्दीक किया गया है जिसको चुनौती बेचाननामे के रहते हुए नहीं दी जा सकती। यदि अपीलान्ट अपना हक या हिस्सा प्राप्त करना चाहता है तो वह पहले किये गये इन प्रकरणों में किये गये बेचनानामे के निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधिन आदेश पारित किया है वह जरिये रजिस्टर बेचान के आधार पर खरीद की गई भूमि का नामान्तरणकरण स्वीकृत किया है । इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः तीनों अपीले खारिज की जावे।

हम ने उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं तीनों अपीलों में उपलब्ध मूल नामान्तरणकरण का भी अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण 549, 548 ग्राम सुख मण्डला व 88 ग्राम करणसिंह नगर का अवलोकन किया व उक्त तीनों नामान्तरकरण में खातेदारी कृषि भूमि हिरकनराम पुत्र जांवताराम जाति विश्नोई के नाम दर्ज है। इस के अलावा अन्य किसी खातेदार का नाम नहीं है। हिरकनराम पुत्र जांवताराम ने अपनी हिस्से की कृषि भूमि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 68/2016 ग्राम सुखमण्डला के नामान्तकरण संख्या 549 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया, उक्त नामान्तकरण संख्या 549 के कॉलम संख्या 14 व 16 में यह उल्लेख किया है कि खातेदार हिरकनराम पुत्र जांवताराम ने अपने हिस्से की भूमि में से 10 बीघा भूमि शांति देवी को बेचान किया। इसी तरह अपील संख्या 69/2016 के द्वारा अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 548 ग्राम सुखमण्डला के कॉलम संख्या 14 व 16 में यह अंकित किया है कि खातेदार हिरकनराम ने अपने हिस्से की भूमि में 10 बीघा भूमि श्रीमती पुष्पा देवी को बेचान किया। इसी तरह अपील संख्या 70/2016 ग्राम करणसिंह नगर नामान्तकरण संख्या 88 जो तहसीलदार बालेसर द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 व 16 में यह अंकन किया गया कि खातेदार हिरकनराम ने अपने हिस्से की भूमि शांति देवी व पुष्पा देवी को बेचान किया हैं। उक्त नामान्तकरण बेचाननामा (रजिस्टर) के आधार पर भरा गया है जिसे तहसीलदार बालेसर ने स्वीकृत किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पुश्तैनी होने का कथन किया है इस बाबत कोई दस्तावेजी सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये और न ही अपील मीमो पर उपलब्ध है। यदि अपीलान्ट अपना हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों अपीले सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है व तीनो अपीलो में निर्णय की एक–एक प्रति संलग्न की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर